[2019] 18 एस.सी.आर. 1125

वुरिमी पुल्लाराव पुत्र सत्यनारायण

बनाम

वेमारी व्यंकटा राधारानी पत्नी धनकोटेश्वरराव और अन्य

(सिविल अपील संख्या 9065, 2019)।

27 नवंबर 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 2 नियम 2– दावे के हिस्से का त्याग – आदेश 2 के तहत रोक नियम 2– आकर्षित होने पर – तथ्यों पर, वादी–अपीलकर्ता ने प्रतिवादी–प्रत्यर्थी को उनके कब्जे में बाधा डालने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया – छह महीने बाद, वादी ने संपत्ति बेचने के समझौते के आधार पर संविदा का विनिर्दिष्ट पालन का मुकदमा दायर किया। डिफ़ॉल्ट के लिए निषेधाज्ञा के लिए पहले के मुकदमे को खारिज करना – ट्रायल कोर्ट ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी ने समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया था, हालांकि कार्रवाई का कारण वादी के पक्ष में जमा हुआ था। उस समय जब निषेधाज्ञा के लिए पिछला मुकदमा संस्थित किया गया था; और यह कि वादी, जब निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, निष्पादन की मांग करते हुए कार्रवाई के उसी कारण पर एक बाद का मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की अनुमति लेने में विफल रहा था – नीचे की अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष कि मुकदमा आदेश के तहत वर्जित है 2 नियम 2– हस्तक्षेप – माना गया: आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिपादित रोक की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, कार्रवाई का कारण जिस पर वादी का दावा आधारित है, वह वादी के समक्ष तब उत्पन्न होना चाहिए जब पहला दावा लागू किया गया था। न्यायालय के समक्ष मांगा गया – वर्तमान मामले में, निषेधाज्ञा के लिए पहले के मुकदमे में बेचने के समझौते का एक विवरण शामिल था; कीमत तय; बयाना राशि का भुगतान; प्रदर्शन की मांग और प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को पूरा करने में विफलता – वास्तव में, वादी ने यह भी दावा किया कि वह समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक मुकदमा दायर करने जा रही थी, विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ था जब वादी ने प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार करने की सूचना प्रतिवादी को पहले के मुकदमे और कारण के बीच कार्रवाई के कारण की पूरी पहचान थी

बाद के मुकदमे के लिए एक कार्रवाई – यह एक राहत है जिसके लिए वादी मुकदमा करने का हकदार था जब निषेधाज्ञा के लिए पहले का मुकदमा दायर किया गया था, हालांकि वादी ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया – अदालत की अनुमति के बिना राहत के लिए दावा छोड़ दिया गया– आदेश 2 नियम 2(3) के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा।

आदेश 2 नियम 2(1) के तहत सिद्धांत – माना गया: आदेश 2 नियम 2(1) इस सिद्धांत को अपनाता है कि कानून मुकदमेबाजी की बहुलता को स्वीकार नहीं करता है– इसलिए, एक वादी किस आधार पर राहत के लिए दावा करने का हकदार है कार्रवाई के कारण में पूरा दावा शामिल होना चाहिए – हालाँकि,

मुकदमे को अदालत के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए वादी को दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ने का अधिकार है – वादी जिसके संबंध में मुकदमा करने से चूक जाता है या जानबूझकर दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ देता है, बाद में छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा–आदेश 2 नियम 2(3) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार है कार्रवाई ही ऐसी सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है – हालांकि, एक वादी जो अदालत की अनुमति के बिना सभी राहतों के लिए मुकदमा करना छोड़ देता है, वह बाद में छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा – अदालत की अनुमति से वह उस परिणाम से बच जाएगी जो आदेश 2 नियम 2(3) के तहत उत्पन्न होता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय

अभिनिर्धारित 1.1 आदेश 2 नियम 2(1) सीपीसी इस आधार पर आधारित है कि वादी सीपीसी के तहत कार्रवाई के कारण के संबंध में जो दावा करने का हकदार है, उसमें पूरा दावा शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, मुकदमे को एफ कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए वादी को दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ने की छूट है। आदेश 2 नियम 2(1) इस सिद्धांत को अपनाता है कि कानून मुकदमेबाजी की बहुलता को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए, एक वादी जो कार्रवाई के कारण के आधार पर राहत के लिए दावा करने का हकदार है, उसे पूरे दावे को शामिल करना होगा। एक वादी जो दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करना छोड़ देता है या जानबूझकर छोड़ देता है, बाद में छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा। यह आदेश 2 नियम 2(2) का आदेश है। आदेश 2 नियम 2(3) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार है ऐसी सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है। हालाँकि, एक वादी जो न्यायालय की अनुमति के बिना, सभी राहतों के लिए मुकदमा करना छोड़ देता है, इस प्रकार छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए बाद में मुकदमा नहीं करेगा।

न्यायालय की अनुमति से आदेश 2 नियम 2(3) के तहत उत्पन्न होने वाले परिणाम से बचा जा सकेगा । मांगी गई और दी गई छूट के अभाव में, एक वादी जिसने किसी भी राहत के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया है, जिसके लिए वे उसी कार्रवाई के कारण के संबंध में मुकदमा करने के हकदार थे, उसे बाद में उस राहत के लिए मुकदमा करने से रोक दिया जाएगा जिसे छोड़ दिया गया है। पहली नजर में ही, लेकिन समान रूप से, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आदेश 2 नियम 2(2) छुट्टी के अनुदान को स्थगित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, एक वादी जिसने मुकदमा करना छोड़ दिया है या जानबूझकर आदेश 2 नियम 2(2) के अर्थ के तहत दावे के किसी भी हिस्से को त्याग दिया है, वह बाद में छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा। **[पैरा 11]**

1.2 आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिपादित रोक की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, कार्रवाई का कारण जिस पर बाद का दावा आधारित है, वह वादी के समक्ष उस समय उत्पन्न होना चाहिए जब पहले दावे के प्रवर्तन की मांग न्यायालय के समक्ष की गई थी। **[पैरा 12]**

1.3 वर्तमान मामले में, निषेधाज्ञा के लिए पिछला मुकदमा 30 अक्टूबर 1996 को स्थापित किया गया था। निषेधाज्ञा के मुकदमे में वादी के पैराग्राफ 2 में बेचने के समझौते का एक विवरण शामिल था; पार्टियों के बीच सौदेबाजी के लिए तय की गई कीमत; बयाना राशि का भुगतान; कब्ज़ा सौंपना; प्रदर्शन की मांग और प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को पूरा करने में विफलता। दरअसल, वादी ने यह भी दावा किया कि वह 26 अक्टूबर 1995 के समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक मुकदमा दायर करने जा रही थी। 26 अक्टूबर

1995 के समझौते के तहत, बिक्री को पूरा करने का समय 25 अक्टूबर 1996 तक आरक्षित था। पालन की सूचना 11 अक्टूबर 1996 को जारी किया गया था जिसका प्रतिवादी ने 13 अक्टूबर 1996 को उत्तर दिया था। विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमे के लिए बाद का कारण तब उत्पन्न हुआ था जब वादी को प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को पूरा करने से इनकार करने की सूचना मिली थी। 30 अक्टूबर 1996 को जब निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, वादी विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करने का हकदार था। पहले मुकदमे के लिए कार्रवाई के कारण और बाद के मुकदमे के लिए कार्रवाई के कारण की पूरी पहचान थी। फिर भी, जैसा कि रिकॉर्ड इंगित करता है, वादी ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया। यह एक राहत है जिसके लिए वादी मुकदमा दायर करने का हकदार था जब निषेधाज्ञा के लिए पहले का मुकदमा दायर किया गया था।

न्यायालय की अनुमति के बिना राहत के दावे को छोड़ देने पर, आदेश 2 नियम 2(3) के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा। **[पैरा 13]**

1.4 प्रथम अपीलीय अदालत ने रिमांड पर दिए गए फैसले में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रतिवादी ने अपने आवेदन में वाद को साबित करने के लिए निषेधाज्ञा के लिए पिछले मुकदमे के मूल रिकॉर्ड को बुलाने की प्रार्थना की थी। वादी ने उस याचिका का इस दावे के साथ विरोध किया कि मूल रिकॉर्ड को बुलाने के बजाय दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। तदनुसार, सिविल जज, सीनियर डिवीजन ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि चूंकि प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर दाखिल की गई थी, इसलिए मूल रिकॉर्ड की मांग करना अनावश्यक था। प्रतिवादी ने पहले के मुकदमे में शिकायत की प्रमाणित प्रति को स्वीकार करने के लिए नोटिस के रूप में एक और आवेदन दायर किया था। निचली अदालत ने इसकी अनुमति दे दी। प्रथम अपीलीय अदालत ने नोट किया कि वादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद वादी की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, पहली अपीलीय अदालत का इस निष्कर्ष पर पहुंचना स्पष्ट रूप से उचित था कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां वादी को पहले के मुकदमे में दलीलों को समझाने के अवसर से वंचित किया गया था। इस निष्कर्ष को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता कि वादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। पक्षकारों को दलीलों, आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंध के आधार पर बाद के मुकदमे की स्थिरता पर आपत्ति की प्रकृति और इस तथ्य के बारे में पता था कि पहले के मुकदमे में शिकायत रिकॉर्ड पर लाई गई थी। वास्तव में, यह वादी के कहे पर था कि पहले के मुकदमे में वादपत्र की एक प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई थी और इसे प्रदर्शन 137 के रूप में चिह्नित किया गया था। इन परिस्थितियों में, आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंध आकर्षित होता है। वादी विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करने का हकदार था जब निषेधाज्ञा के लिए पहले का मुकदमा दायर किया गया था लेकिन ऐसा करने से चूक गया। पहले मुकदमे और उसके बाद के मुकदमे में कार्रवाई के कारण की पहचान थी। पहले का मुक़दमा वादी की इस दलील पर स्थापित किया गया था कि 26 अक्टूबर 1995 को बेचने के समझौते के अनुसरण में उसे संपत्ति का कब्ज़ा दिया गया था। फिर भी, न्यायालय की अनुमति के बिना, वादी ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना के साथ सामग्री को आराम दिया। इन परिस्थितियों में, तीनों अदालतों द्वारा यह निश्कर्श निकाला गया कि बाद में दायर किए गए मुकदमे आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित है इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **[पैरा 15]**

1.5 माना जाता है कि वादी ने 26 अक्टूबर 1995 को समझौते के निष्पादन के समय प्रतिवादी को 1,50,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा, वादी ने प्रथम अपील के न्यायालय के समक्ष 30,000 रुपये की शेष राशि 03 फरवरी 2012 को जमा कर दी है। वादी द्वारा

प्रतिवादी के पास जो राशि जमा की गई है, उसे नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वादी 30,000 रुपये की वापसी का हकदार होगा जो 3 फरवरी 2012 को विचारण न्यायालय में जमा किया गया था, साथ ही उस पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, भी शामिल था। यदि प्रतिवादी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त राशि वापस करने में विफल रहता है, तो वादी उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय में आ सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए जाते हैं। **[पैरा 17,18]**

2. जहां तक संबंध है, सी.ए. 2019 की संख्या 9066 (एसएलपी (सी) संख्या 122210/2017) में यह निर्देश दिया गया है कि प्रतिवादी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर वादी को 1,40,000 रुपये की राशि नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करेगा। वादी ट्रायल कोर्ट में जमा की गई 30,000 रुपये की राशि और उस पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, वापस पाने का भी हकदार है। यदि प्रतिवादी द्वारा आज से दो महीने की अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वादी उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। **[पैरा 19]**

गरुबक्स सिंह बनाम भूरालाल, ए.आई.आर. 1964 एस.सी 1810 : [1964] 7 एस.सी.आर. 831 – विभेदित.

विर्गो इंडस्ट्रीज (इंजी.) प्राइवेट लिमिटेड बनाम वेंचरटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड **(2013) 1 एससीसी 625: [2012] 7** SCR 933; प्रमोद कुमार बनाम जलक सिंह (2019) 6 एस.सी.सी 621; मो. खलील खान वि. महबूब अली मियां (1948) एससीसी ऑनलाइन पीसी 44 (1947–48) 75 आईए 121 संदर्भित को।

केस कानून संदर्भ

[1964] 7 एससीआर 831	**विशिष्ट**	**para 8**
[2012] 7 एससीआर 933	**करने के लिए भेजा**	**para 9**
(1947–48) 75 आईए 121	**करने के लिए भेजा**	**para 12**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 9065।

2015 की दूसरी अपील संख्या 352 में बॉम्बे, नागपुर बेंच, नागपुर में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.01.2017 से।
साथ 2019 की सिविल अपील संख्या 9066। शशिभूषण पी. अडगांवकर, वकील, अपीलकर्ता के लिए.

सत्यजीत ए देसाई, मिस. अनघा ए देसाई शोभित द्ववेदी अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का फैसला डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई.

2019 की सिविल अपील संख्या 9065 (@ एसएलपी (सी) संख्या 11811/2017

2– यह अपील उच्च न्यायालय मुंबई की नागपुर खंडपीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा द्वितीय अपील अपील के निर्णय दिनांक 6 जनवरी, 2017 से अद्भुत हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि अपीलकर्ता के द्वारा दायर विनिर्दिष्ट परिपालन का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित था, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में निषेधाज्ञा के लिए पहले वाद दायर किया था।निम्न न्यायालय द्वारा गौर किया गया कि पहले वाद को स्थापित करते समय, अपीलकर्ता का यह चिंतन था कि बेचने के समझौते के विशिष्ट परिपालन के लिए एक वाद दायर किया जाए , जिसके बावजूद भी सीपीसी के 2 नियम 2(3)। के तहत आज्ञा नहीं ली गई, इस प्रकार यह अपील समवर्ती निष्कर्षों से उत्पन्न होती है जोविचारण न्यायालय, एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई हैं कि वाद वर्जित है ।

3. जिन तथ्यों पर अपील की गई है वे इस प्रकार हैं (पक्षों को वाद में उनके विवरण के अनुसार संदर्भित किया जाएगा):

विवाद का विषय गाट संख्या 111 माप 3 एच 05 आर की कृषि भूमि है जो नयेगांव, तालुका नांदुरा, जिलाबुलढाणा. में स्थित है। 26 अक्टूबर 1995 को, मूल प्रतिवादी ने वाद भूमि के संबंध में मूल वादी के पक्ष में कुल 1,80,000 रुपये में बेचने का समझौता किया। बेचने के समझौते के समय, प्रतिवादी को बयाना के रूप में 1,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। समझौते में निर्धारित किया गया था कि बिक्री विलेख 30,000 रुपये की शेष राशि के भुगतान के विरुद्ध 25 अक्टूबर 1996 तक निष्पादित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 1996 को वादी की ओर से प्रतिवादी को अनुबंध का परिपालन करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया । वादी के द्वारा 25 अक्टूबर 1996 को सब–रजिस्ट्रार के समक्ष विक्रय विलेख का पंजीकरण हेतु उपस्थित रहने का कहा गया,

हालाँकि, 13 अक्टूबर 1996 को प्रतिवादी द्वारा जवाब देकर , विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया। इस बीच, यह आरोप लगाया गया कि 16 अक्टूबर 1996 को प्रतिवादी ने वाद भूमि पर वादी के कब्जे में बाधा डालने की कोशिश की; वादी यह दावा कर रहा है कि उसने बेचने के समझौते के अनुसरण में कब्ज़ा कर लिया है। वादी द्वारा सिविल जज, जूनियर डिवीजन, मलकापुर के समक्ष 1997 के नियमित सिविल वाद संख्या 216 के तहत निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया गया था। निषेधाज्ञा के लिए पूर्व वाद में वादी द्वारा परिच्छेद 2 में निम्नलिखित कथन शामिल थे:

> "वादी के द्वारा खंड 1 में उल्लिखित संपत्ति पूरी तरह से प्रतिवादी की है जिसके लिए प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 26.10.95 को वादी के साथ 1,80,000/– रुपये की कुल कीमत पर बिक्री का सौदा किया। उक्त सौदे के अनुसार प्रतिवादी ने उसी दिन वादी से 1,50,000/– रुपये नकद ले लिए और वादी के पक्ष में सौदा पत्र लिखकर दे दिया। 30,000/– रुपये की शेष राशि के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि इसका भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन के समय किया जाएगा और इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी से लिखित रूप में सौदा पत्र प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी ने 26.10.1995 को ही वादी को कृषि भूमि का कब्जा सौंप दिया था। उस समय से कृषि भूमि पर वादी का कब्जा है। दिनांक 26.10.1995 से आज तक इस भूमि के संबंध में सभी औपचारिकताएं जैसे खेती एवं कृषि संबंधी सभी प्रक्रियाएं वादी द्वारा की जा रही हैं। उक्त खेत पर वादी ने कृषि कार्य हेतु काफी धनराशि खर्च की थी। इसके बाद वादी ने कई बार प्रतिवादी से उक्त भूमि का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में करने को कहा। वादी सौदे के अनुसार व्यवहार करने को तैयार है। वादी ने

प्रतिवादी को सूचित किया कि प्रतिवादी को शेष राशि रु. 30,000/– का भुगतान करके वादी उक्त संपत्ति का विक्रय पत्र प्राप्त करने के लिए तैयार है; लेकिन प्रतिवादी टाल–मटोल करता रहा। अतः जैसा पहले वादी और प्रतिवादी के बीच दिनांक 11.10.1996 को निर्णय लिया गया था, वादी ने प्रतिवादी को नोटिस भेजकर दिनांक 15.10.96 को उक्त खेत का विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा। वह पंजीकृत सूचना 11.10.96 को प्रतिवादी को प्राप्त हुई, लेकिन 15.10.96 को प्रतिवादी उप–रजिस्ट्रार नांदुरा के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ और वादी के पक्ष में उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं किया, जबकि वादी 30,000/– रुपये की नकद राशि के साथ वहां उपस्थित था। अत: और प्रतिवादी के मध्य हुए समझौते को पूरा करने के लिए दिनांक 26.10.1995 को वादी माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन, खामगांव की अदालत में मुकदमा दायर करेगा।"

4. वाद में जो अनुतोष चाहा गया है वो घोषणा थी कि वादी भूमि के कब्जे में है और प्रतिवादी को वादी के कब्जे में बाधा डालने से रोकने वाला एक स्थायी निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा 30 अक्टूबर 1996 को दायर किया गया था। माना जाता है कि पहले के मुकदमे में सीपीसी के आदेश 2 नियम 2(3) के तहत बाद में विर्निर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए अदालत से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।

5. 30 अप्रैल 1997 को, अपीलकर्ता–वादी ने संपत्ति बेचने के समझौते के विनिर्दिष्ट पालन की मांग करते हुए सिविल जज, सीनियर डिवीजन, खामगांव के समक्ष विशेष मुकदमा संख्या 61/1997 स्थापित किया। निषेधाज्ञा का पिछला मुकदमा 16 सितंबर 2005 को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी ने सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमे की स्थिरता का विरोध किया। विचारण न्यायालय आदेश 2 नियम 2 के तहत विनिर्दिष्ट पालन द्वारा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया। बहरहाल, 13 अक्टूबर 2005 के अपने फैसले से विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी ने समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा करने में चूक की थी। हालांकि वादी के पक्ष में कार्रवाई का कारण उस समय उपार्जित हुआ था। जब 30 अक्टूबर 1996 को पहले निषेधाज्ञा के लिए पहला मुकदमा (आर०सी०एस०नं० 216/1997) दायर किया गया था। अक्टूबर 1996. वादपत्र की प्रमाणित प्रति, जिसे रिकॉर्ड पर रखा गया था, का उल्लेख करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह कहा कि पहले वाले वाद पत्र में वादी ने इस तथ्य का विशिष्ट संदर्भ दिया था कि वादी विक्रय के समझौते के आधार पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दायर करेगा। विचारण न्यायाधीश ने पाया कि जब निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, तो वादी अदालत की अनुमति लेने में विफल रहा था। निष्पादन की मांग करते हुए कार्रवाई के उसी कारण पर अगला मुकदमा दायर करना। नतीजतन, विनिर्दिष्ट पालन का मुकदमा खारिज कर दिया गया। अपील में, तदर्थ जिला न्यायाधीश– ।, खामगांव ने 6 जनवरी 2012 के एक फैसले द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंध नहीं था आकर्षित होते। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कहा कि:

(i) विचारण न्यायालय द्वारा इसमें कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं बनाया गया था।

(ii) पहले के मुक़दमे में दी गई दलीलें प्रमाणित साबित नहीं हुई थीं, यह स्थापित करें कि पहले का मुकदमा और बाद का मुकदमा कार्रवाई के समान कारण पर आधारित थे;

(iii) पहले के मुकदमे में वादी को अपनी दलीलों को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं

दिया गया था; और

(iv) विचारण न्यायालय को आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंध पर एक विशिष्ट मुद्दा तय करना चाहिए था।

गुण दोष के आधार पर, प्रथम अपीलीय अदालत ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मुकदमा निष्पादन निर्धारित किए जाने योग्य था। तदानुसार अपील की अनुमति दी गई और वादी को एक महीने की अवधि के भीतर 30,000 रूपये की शेष राशि जमा करने के निर्देश के साथ विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए एक डिक्री (आज्ञप्ति) पारित की गई। वादी ने 3 फरवरी 2012 को शेष राशि जमा करने का दावा किया है।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री के विरूद्ध निर्णय दिनांक 2 अप्रैल 2013 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपील पर विचार करते समय अपीलीय अदालत को अन्य बातों के साथ–साथ, सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रिमांड की संभावना का पता लगाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए पक्षों की सहमति से मामले को वापस उसके पास भेज दिया।

7. रिमांड पर, जिला न्यायाधीश– I, मलकापुर ने विचार के लिए एक बिंदु के रूप में तय किया कि क्या मुकदमा सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 द्वारा वर्जित था। जिला न्यायाधीश ने कहा कि पहले के मुकदमे में शिकायत की प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर थी और प्रदर्श 137 के रूप में चिह्नित थी। वादपत्र में दिनांक 26 अप्रैल 2015 को बेचने के समझौते के निष्पादन का संदर्भ था, 1,50,000 रुपये का बयाना भुगतान करने और प्रतिवादी को 11 अक्टूबर 1996 को बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए बुलाया गया। जिला न्यायाधीश ने वादी की इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि पहले के मुकदमें में शिकायत तब नहीं दिखाई गई थी, जब वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से गवाह के कटघरे में था। उस संदर्भ में पहली अपीलीय अदालत ने नोट किया कि कार्यवाही के दौरान क्या हुआ था:

> "यह ध्यान देने योग्य बात है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.2.2005 को आवेदन संख्या–117 के माध्यम से प्रतिवादी ने दस्तावेजों को साबित करने के लिए नांदुरा कोर्ट की फाईल से आर०सी०एस० का रिकार्ड क्रमांक 216/1997 के मूल रिकार्ड को बुलाने की प्रार्थना की। वादी ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मूल रिकॉर्ड को बुलाने के बजाय रिकॉर्ड पर रखी जा सकती है। तदनुसार, विद्वान सिविल न्यायाधीश, सीनियर डीएन, खामगांव ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया है कि चूंकि प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर रखी जा सकती है, इसलिए मूल अभिलेख बुलाया जाना आवश्यक नहीं है। विचारण न्यायालय के अभिलेख से दर्शित है कि उसी दिन यानी 22.2.2005 को, प्रतिवादी ने दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए नोटिस की प्रकृति में Ex.118 के माध्यम से एक और आवेदन दायर किया है, यानी आरसीएस संख्या 216/1997 में शिकायत की प्रमाणित प्रति। उस आवेदन को विद्वान सिविल जज, सीनियर डीएन, खामगांव ने अनुमति दे दी। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की ओर से कोई आपत्ति न होने पर आरसीएस संख्या 216/1997 में वाद पत्र की प्रमाणित प्रति अंकित प्रदर्श 137 के रूप में चिन्हित की गई। इसलिए, अब, वादी यह नहीं कह सकता कि उसे आरसीएस संख्या 216/1997 में अपनी दलीलों को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था।

प्रथम अपीलीय अदालत ने नोट किया कि निषेधाज्ञा के लिए पहले के मुकदमे (प्रदर्श 94) में वादपत्र की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखी गई थी और इसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। यह माना गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री का समर्थन करने के लिए अपील में प्रतिवादी के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए किसी विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए क्रॉस आपत्तियों का एक ज्ञापन दायर करना आवश्यक नहीं था। अंततः, यह माना गया कि जब निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, तो वह वादी के लिए खुला था कि वह स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ–साथ विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष को भी वाद में शामिल कर सके। पिछले मुकदमे में दावा किए गए स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु लिए गये आधर ही विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष हेतु वाद कारण के रूप में प्रस्तुत थे। वे सभी आवश्यक तत्व, जिनके आधार पर अगला मुकदमा संस्थित किया गया था, उस तारीख को मौजूद थे जब पहला मुकदमा दायर किया गया था। चूंकि वादी ने विनिर्दिष्ट अनुपालन की राहत की मांग करना छोड़ दिया था जो कि निषेधाज्ञा के लिए पहले के मुकदमे के संस्थित होने पर उपलब्ध थी, न्यायालय ने अनुमान लगाया कि वादी ने विशिष्ट निष्पादन के दावे को त्याग दिया है। अंत में, प्रथम अपीलीय अदालत ने यह भी माना कि रिमांड की संभावना तलाशने के बाद, वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसा करना अनावश्यक था क्योंकि पक्षकारों ने अपने प्रतिद्वंद्वी मामलों को जानते हुए पूरी तरह से मुकदमा चलाया था और सबूत पेश किए थे। इन परिस्थितियों में, किसी मुद्दे की अनुपस्थिति (ऐसा माना गया) किसी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनती, जिससे रिमांड की आवश्यकता होती। प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2017 को द्वितीय अपील में बरकरार रखा था। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू होती है।

8.अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील श्री शशिभूषण पी. अडगांवकर ने प्रस्तुत किया कि आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए, एक अनिवार्य आवश्यकता यह है कि कार्रवाई का कारण जो पहले मुकदमे का आधार बनता है और कार्रवाई का कारण जिस पर बाद के मुकदमे में दावा आधारित है के बीच में एक पहचान होनी चाहिए। गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल [2], में संविधान पीठ के फौसले पर भरोसा करते हुए ऐसा आग्रह किया गया था कि आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंध स्थापित होने के लिए, प्रतिवादी के लिए पिछले मुकदमे में दलीलों को साक्ष्य के रूप में दाखिल करना आवश्यक है ताकि बाद के मुकदमे में अदालत को यह साबित किया जा सके कि दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारण की पहचान है। वर्तमान मामले में यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी ऐसा करने में विफल रहा। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वादपत्र में सबूत पेश किए जाने के चरण में, पहले के मुकदमे को बाद के मुकदमे में, वादी को नहीं दिखाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वादी को दो मुकदमों में कार्रवाई के कारणों के बीच पहचान की अनुपस्थिति को स्थापित करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय यह मानने के लिए आगे बढ़ा कि विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा किसी विशिष्ट मुद्दे को तय किए बिना आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पहली अपीलीय अदालत एक मुद्दा बना सकती थी और सबूत पेश करने की अनुमति देने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय लेने की मांग कर सकती थी या वैकल्पिक रूप से आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त सबूत पेश करने पर खुद ही निर्धारण कर सकती थी। इनमें से कार्यवाही के किसी भी तरीके को नहीं अपनाया गया और इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश 2 नियम 2 के तहत रोक लागू नहीं होती है।

9.दूसरी ओर, उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, जिसे विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने महत्व दिया है, श्री सत्यजीत ए. देसाई ने आग्रह किया कि पहले वाद के वादपत्र में तत्वों से विक्रय की संविदा प्रतिफल के भुगतान और वादी द्वारा जारी किए गए अनुपालन के नोटिस के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख है। इतना ही नहीं, वाद पत्र की कंडिका 2 में इस तथ्य का एक विशिष्ट पाठ शामिल था कि

वादी का इरादा सिविल जज सीनियर डिवीजन, खामगांव की अदालत के समक्ष विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा दायर करने का था, इसके बावजूद यह प्रस्तुत किया गया कि वादी ने आदेश 2 नियम 2(3) के तहत अदालत से अनुमति लेने की मांग नहीं की। यह प्रस्तुत किया गया था, प्रावधान के तहत रोक को आकर्षित करने के लिए आवश्यक रूप से इसका परिणाम होना चाहिए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गुरबक्स सिंह (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ के समक्ष जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें अंतर यह है कि वर्तमान मामले में, पहले के मुकदमे में वादपत्र को वादी की ओर से बिना किसी आपत्ति के विधिवत रूप से एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था। उस संबंध में विद्वान वकील ने विर्गो इंडस्ट्रीज (इंजी.) प्राइवेट लिमिटेड बनाम वेंचरटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड [3] और प्रमोद कुमार बनाम जालक सिंह में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

10. **आदेश 2 नियम 2 का सार निम्नांकित है–**

> " **2.** मुकदमें में संपूर्ण दावा शामिल होगा–(1) प्रत्येक मुकदमे में वह संपूर्ण दावा शामिल होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है; लेकिन वादी किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मुकदमा लाने के लिए अपने दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ सकता है।
>
> (2) दावे के हिस्से का त्याग. –जहां कोई वादी अपने दावे के किसी हिस्से के संबंध में मुकदमा करना छोड़ देता है, या जानबूझकर छोड़ देता है, तो वह बाद में छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।
>
> (3) कई राहतों में से एक के लिए मुकदमा करने की चूक–एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार व्यक्ति ऐसी सभी या किसी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है; परन्तु यदि वह चूक जाए,ऐसी सभी राहतों के लिए मुकदमा करने के लिए न्यायालय की अनुमति के अलावा, वह बाद में छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा।
>
> स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए एक दायित्व और उसके प्रदर्शन के लिए एक संपार्श्विक सुरक्षा और उसी दायित्व के तहत उत्पन्न होने वाले क्रमिक दावों को क्रमशः कार्रवाई का एक कारण माना जाएगा।

11. आदेश 2 नियम 2(1) की नींव पर इस आधारित है कि वह दावा जो वादी किसी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है, उसमें पूरा दावा शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, मुकदमों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए वादी दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। आदेश 2 नियम 2(1) इस सिद्धांत को अपनाता है कि कानून मुकदमेबाजी की बहुलता को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए, एक वादी जो कार्यवाही के कारण के आधार पर राहत के लिए दावा करने का हकदार है, उस पूरे दावे को शामिल करना होगा। एक वादी जो दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करना छोड़ देता है या जानबूझकर त्याग देता है, बाद में छोड़े गए या छोड़े गए भाग के संबंध में मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा। यह आदेश 2 नियम 2(2) का

आदेश है। आदेश 2 नियम 2(3) में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो एक ही कार्यवाही के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार है, वह एेसी सभी या किसी एक राहत के लिए मुकदमा कर सकता है। हालाँकि, एक वादी जो न्यायालय की अनुमति के बिना सभी राहतों के लिए मुकदमा करना छोड़ देता है, वह बाद में छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा। न्यायालय की अनुमति से आदेश 2 नियम 2(3) के तहत उत्पन्न होने वाले परिणाम से बचा जा सकेगा। मांगी गई और दी गई छूट के अभाव में, एक वादी जिसने किसी भी अनुतोष के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया है जिसके वाद कारण के संबंध में वे मुकदमा करने के हकदार थे, उसे बाद में उस राहत के लिए मुकदमा करने से रोक दिया जाएगा, जिसे पहली बार में छोड़ दिया गया था। छुट्टी की मंजूरी आदेश 2 नियम 2(3) के तहत परिणाम से छुटकारा दिलाती है, लेकिन समान रूप से, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आदेश 2 नियम 2(2) छुट्टी के अनुदान को स्थगित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, एक वादी जिसने आदेश (2) नियम 2(2) के अर्थ के तहत मुकदमा करना छोड़ दिया है या जानबुझकर दावे के किसी हिस्से को त्याग दिया है, वह बाद में इस प्रकार छोड़े गए या त्यागे गए हिस्से के संबंध में मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा।

12. आदेश 2 नियम 2 में अंतर्निहित तर्क को प्रिवी काउंसिल के निर्णय सहित कई निर्णयों में निराकृत किया गया है, जिसमें **मोहम्मद खलील बनाम महबूब अली** मियां में प्रिवी काउंसिल ने अवधारित किया कि–

"(1) आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में सही परीक्षण यह है कि 'क्या नए मुकदमे में दावा वास्तव में कार्यवाही के किसी ऐसे कारण पर आधारित है जो उससे भिन्न है जो पिछले मुक़दमे की नींव थी।"

(2) कार्रवाई के कारण का मतलब हर उस तथ्य से है जिसे पार करने पर वादी को साबित करना आवश्यक होगा कि निर्णय उसके अधिकार का समर्थन करें निर्णय.

(3) अगर प्रमाण को सहायता दो दावा है अलग, तब क्रिया के कारण भी भिन्न–भिन्न हैं।

(4) दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारणों को एक ही माना जा सकता है यदि वे मूल रूप से समान हैं।

(5) कार्यवाही के कारण का प्रतिवादी द्वारा लिए गए बचाव से कोई संबंध नहीं है, न ही वह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह उस माध्यम को संदर्भित करता है, जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।

आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिपादित रोक की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, कार्रवाई का

कारण, जिस पर बाद का दावा आधारित है, वादी को तब उत्पन्न होना चाहिए जब पहले दावे के प्रवर्तन की मांग न्यायालय के समक्ष की गई थी।

विर्गो इंडस्ट्रीज (इंजी.) प्राइवेट लिमिटेड में (सुप्रा), आदेश 2 नियम 2 के प्रावधान इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आए। न्यायालय ने कहा:

> "10. आदेश 2 नियम 2(2) और (3) सीपीसी के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य दूर-दूर तक नहीं है। नियम एक प्रशंसनीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो प्रतिवादी को कई मुकदमों द्वारा बार-बार परेशान करने को हतोत्साहित/निषिद्ध करता है, सिवाय उस स्थिति के जहां वादी को उपलब्ध कई राहतों में से एक का दावा किसी अच्छे कारण से नहीं किया गया हो। इस तरह की राहत के लिए बाद के मुकदमे पर केवल अदालत की अनुमति से विचार किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से, उचित संतुष्टि और अच्छे और पर्याप्त कारणों से दी जाएगी।

इन सिद्धांतों को प्रमोद कुमार (सुप्रा) के हालिय निर्णय में दोहराया गया है।

> 13. वर्तमान मामले में, निषेधाज्ञा के लिए पिछला मुकदमा 30 अक्टूबर 1996 को स्थापित किया गया था । निषेधाज्ञा के मुकदमें में वादपत्र के पैराग्राफ 2 में 26 अक्टूबर 1996 को विक्रय के समझौते का एक विवरण शामिल था , पार्टियों के बीच सौदेबाजी के लिए तय की गयी कीमत, बयाना राशि का भुगतान; कब्ज़ा सौंपना; अनुपालन की मांग और प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को पूरा करने में विफलता। दरअसल, वादी ने यह भी दावा किया कि वह 26 अक्टूबर 1995 के समझौते के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा दायर करने जा रही थी। दिनांक 26 अक्टूबर 1995 के समझौते के तहत, बिक्री पूरी करने का समय 25 अक्टूबर 1996 तक आरक्षित था। अनुपालन का नोटिस 11 अक्टूबर 1996 को जारी किया गया था जिसका प्रतिवादी ने 13 अक्टूबर 1996 को उत्तर दिया था। विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमे में कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादी को प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार करने की सूचना मिली। 30 अक्टूबर 1996 को जब निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा करने का हकदार था। पहले के मुकदमे (जिसमें से वादी के पैराग्राफ 2 को निर्णय के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया गया है) और बाद के मुकदमे के लिए कार्रवाई के कारण के बीच कार्रवाई के कारण की पूरी पहचान थी। फिर भी, जैसा कि रिकॉर्ड इंगित करता है, वादी ने विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया। यह एक अनुतोष है जिसके लिए वादी मुकदमा दायर करने का हकदार था, जब निषेधाज्ञा के लिए पहले का मुकदमा दायर किया गया था। न्यायालय की अनुमति के बिना राहत के दावे को छोड़ देने पर आदेश 2 नियम 2(3) के तहत रोक आकर्षित होगी।
>
> 14. लेकिन अपील में वादी का मामला यह है कि आदेश 2 नियम 2 के तहत

रोक को आकर्षित करने के लिए यह ज़रूरी है कि पहले के मुकदमे को साक्ष्य में साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का आधार गुरबक्स सिंह (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ का निर्णय है । अब उन तथ्यों का विश्लेषण करना जरूरी है जिनकी वजह से संविधान पीठ का फैसला आया. प्रतिवादी ने कुछ संपत्ति पर कब्जे और मामूली लाभ के लिए दावेदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वादपत्र में आरोप यह था कि वादी उस संपत्ति का पूर्ण मालिक था जिस पर प्रतिवादी ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था और मांग के बावजूद वह संपत्ति खाली करने में विफल रहा था, जिससे उसे अन्य लाभ का भुगतान करने का दायित्व आकर्षित हुआ। वाद में वादी और उसकी मां द्वारा दायर पिछले मुकदमे का संदर्भ था जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ उसी संपत्ति के संबंध में मध्यवर्ती लाभ की वसूली के लिए दावा किया गया था। यह भी कहा गया कि मुकदमे में मध्यवर्ती लाभ का आदेश दिया गया था। लिखित बयान में, अपीलकर्ता–प्रतिवादी ने आदेश 2 नियम 2 के तहत रोक के आधार पर मुकदमे की स्थिरता की दलील दी। चूंकि एक मुद्दा उठाया गया था, इसलिए इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तर्क दिया गया था। न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि मुकदमा आदेश 2 नियम 2 के प्रावधानों द्वारा वर्जित था। न्यायालय ने माना कि पहले के मुकदमे में दलीलों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए बिना, ट्रायल कोर्ट ने इस मुद्दे को कटौती के मामले के रूप में तय किया। नतीजतन, जिला न्यायाधीश ने माना कि आदेश 2 नियम 2 के तहत रोक पर पहले के मुकदमे की शिकायत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए बिना विचार नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने यह भी माना कि यदि विचार के लिए मुद्दा उठता, तो उसने वादी के पक्ष में निर्णय लिया होता और कारण पर विचार किया होता। किसी अतिचारी से संपत्ति का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए कार्रवाई का कारण मध्यवर्ती लाभ के लिए मुकदमें की कार्यवाही के कारण से भिन्न है। हालाँकि, पहले बिंदु पर कि आदेश 2 नियम 2 के तहत बार की दलील को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी, ज़िला न्यायाधीश ने आदेश 2 नियम 2(2) के निर्णय के संबंध में कानून के अपने दृष्टिकोण पर निर्णय नहीं दिया। तदनुसार, उन्होंने मुकदमे को खारिज कर दिया और इसे गुण–दोष के आधार पर निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इससे पहले कार्यवाही हुई उस संदर्भ में, संविधान पीठ ने निर्णय दिया ;

"6. ओ.2 आर.2(3) के तहत एक प्रतिबंध की याचिका को सिविल प्रक्रिया संहिता में सफल होना चाहिए, जो प्रतिवादी याचिका उठाता है उसे यह बताना होगा कि (1) दूसरा मुकदमा उसी कार्रवाई के कारण के संबंध में था, जिस पर पिछला मुकदमा आधारित था; (2) कार्रवाई के उस कारण के संबंध में, वादी एक से अधिक राहत का हकदार था,(3) इस प्रकार एक से अधिक राहत का हकदार होने के कारण वादी ने अदालत से अनुमति प्राप्त किए बिना उस राहत के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया, जिसके लिए दूसरा मुकदमा दायर किया गया था। इस विश्लेषण से यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी को मुख्य

रूप से और सबसे पहले, कार्रवाई का सटीक कारण स्थापित करना होगा जिस पर पिछला मुकदमा दायर किया गया था, जब तक कि कार्यवाही के कारण के बीच में पहचान न हो, जिस पर पहले का मुकदमा दायर किया गया था और जिस पर बाद के मुकदमे में दावा आधारित है, वहां बार के आवेदन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। निस्संदेह, एक राहत जो मांगी गई है एक पट्टिका को सामान्यतः कार्यवाही के किसी विशेष कारण से खोजा जा सकता है लेकिन यह किसी भी तरह से सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है। चूँकि याचिका एक तकनीकी बाधा है इसे संतोषजनक ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए और इसे केवल अनुमानात्मक तर्क के आधार पर नहीं माना जा सकता है। इसी कारण से हम उस पर विचार करते हैं O.2 R.2 के तहत एक बार की दलील, सिविल प्रक्रिया संहिता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब प्रतिवादी पिछले मुकदमे में दलीलों को साक्ष्य के रूप में दाखिल करता है और इस तरह अदालत को दो मुकदमों में कार्रवाई के कारण की पहचान साबित करता है। ”

मामले के तथ्यों पर, संविधान पीठ ने कहा कि यह सामान्य आधार है कि पहले के मुकदमे में अपीलकर्ता द्वारा बाद के मुकदमे में आदेश 2 नियम 2 के तहत याचिका के समर्थन में सबूत के रूप में दायर नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि अभिवचनों के अभाव में, विचारण न्यायाधीश का निर्णय केवल राय के रूप में था। यह न्यायालय उस दृष्टिकोण से सहमत था, जो उसके द्वारा लिया गया था। जिला न्यायाधीश, जिन्होंने अपीलकर्ता के मामले में कमी देखी थी: पिछले मुकदमे की शिकायत रिकॉर्ड में आए बिना, आदेश 2 नियम 2 के तहत बार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पहले के मुकदमे में न तो वाद दायर किया गया था और न ही लिखित बयान दायर किया गया था और एकमात्र दस्तावेज़ जो उपलब्ध था वह अपील में निर्णय था। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि दलीलों के अभाव में पहले के मुकदमे में, कार्रवाई के कारण की पहचान पर कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था।

15. संविधान पीठ के समक्ष मामले में जो स्थिति प्राप्त हुई, वह वर्तमान मामले में घटित घटनाओं से भिन्न है। प्रथम अपीलीय अदालत ने रिमांड पर जो फैसला सुनाया, उसमें इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि प्रतिवादी ने प्रदर्श 117 में अपने आवेदन द्वारा वाद को साबित करने के लिए निषेधाज्ञा के लिए पिछले मुकदमे के मूल रिकॉर्ड को बुलाने की प्रार्थना की थी। वादी ने उस याचिका का इस दावे के साथ विरोध किया कि मूल रिकार्ड को बुलाने के बजाय दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। तदनुसार, सिविल जज, सीनियर डिवीजन ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि चूंकि प्रमाणित प्रति रिकार्ड पर दायर की गई थी, मूल रिकॉर्ड के लिए कॉल करना अनावश्यक था। प्रतिवादी ने पहले के मुकदमे में वादपत्र की प्रमाणित प्रति को स्वीकार करने के लिए एक नोटिस के रूप में प्रदर्श संख्या 118 पर एक और आवेदन दायर किया था। निचली अदालत ने इसकी अनुमति दी। प्रथम अपीलीय अदालत ने कहा कि वादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद वादपत्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था।

इस पृष्ठभूमि में, पहली अपीलीय अदालत का इस निष्कर्ष पर पहुंचना स्पष्ट रूप से उचित था कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां वादी को पहले के मुकदमे में दलीलों को समझाने के अवसर से वंचित किया गया था। इस निष्कर्ष को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता कि वादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। पक्षकारों को दलीलों, आदेश 2 नियम 2 के तहत बार के आधार पर बाद के मुकदमे की स्थिरता पर आपत्ति की प्रकृति और इस तथ्य के बारे में पता था कि पहले के मुकदमे में शिकायत रिकॉर्ड पर लाई गई थी। वास्तव में, यह

वादी के आदेश पर ही था कि पहले के मुकदमे में वादपत्र की एक प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लाने और प्रदर्श 137 के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी गई थी। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत प्रतिबंध आकर्षित होता है। वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा करने का अधिकारी था, जब निषेधाज्ञा के लिए पहले का मुकदमा संस्थित किया गया था लेकिन ऐसा करने के लिए छोड़ दिया गया था। पहले मुकदमे और उसके बाद के मुकदमे में कार्रवाई के कारण की पहचान थी। पहले का मुक़दमा वादी की इस दलील पर स्थापित किया गया था कि 26 अक्टूबर 1995 को बेचने के समझौते के अनुसरण में उसे संपत्ति का कब्ज़ा दिया गया था। फिर भी, न्यायालय की अनुमति के बिना, वादी ने विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा करना छोड़ दिया और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना के साथ संतुष्ट रहा। इन परिस्थितियों में, हम उस निष्कर्ष सहमत हैं जो तीनों न्यायालयोंद्वारा किया गया है कि बाद में दायर किया गया मुकदमा आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित है और इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील को खारिज कर दिया जाएगा और हम तदनुसार आदेश देंगे।

16. हालांकि मामले का एक पहलू है जो हमारे विचार में, पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का सहारा लेता है।

17. माना कि, वादी ने 26 अक्टूबर 1995 को समझौते के निष्पादन के समय प्रतिवादी को 1,50,000 रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा, वादी ने 3 फरवरी 2012 को प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष प्रतिफल की शेष राशि 30,000 रुपये जमा की (रसीद की एक प्रति अपील के अनुबंध पी–4 के रूप में चिह्नित है)। हमारा मानना है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के पास जमा की गई राशि को प्रति वर्ष नौ प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वादी 3 फरवरी 2012 को विचारण न्यायालय में जमा किए गए 30,000 रूपये और उस पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो तो, को वापस पाने का हकदार होगा। यदि प्रतिवादी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त राशि वापस करने में विफल रहता है, तो वादी उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय में जा सकता है।

18. उपरोक्त निर्देशों के अधीन, जो हमने अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं, हम उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील का निपटान करते हैं।

CivilAppealNo.9066 of 2019 (@ SLP (C) No.122210/2017)

19. वर्तमान अपील को संलग्न सिविल अपील के साथ सुना गया है जिसका निर्णय उपरोक्त निर्णय द्वारा किया गया है। प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस बात पर सहमत हुए कि अंतर का एकमात्र बिन्दु यह है कि 1,40,000 रुपये की राशि बयाना राशि के रूप में जमा की गई है और 30,000 रुपये की राशि आदेश के अनुसरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पहले जमा की गई थी। प्रथम अपीलीय अदालत ने मुकदमे पर फैसला सुनाया। हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी, प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर वादी को 1,40,000 रुपये की राशि नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करेगा। वादी ट्रायल कोर्ट में जमा की गई 30,000 रुपये की राशि और उस पर अर्जित ब्याज, अगर कोई हो तो भी वापस पाने का हकदार है। यदि प्रतिवादी द्वारा आज से दो महीने की अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वादी को उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता है।

20. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

Nidhi Jain

अपीलें निस्तारित।

Translated/Validated/Corrected
By
SMT. MONIKA JAISWAL
II ADDITIONAL DISTRICT &
SESSIONS JUDGE
AMBIKAPUR